जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 256 प्रभात बीकानेर, बुधवार 9 अप्रैल, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

"हमारे अपने" पटेल, गांधी व नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी

सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक में यह प्रस्ताव पारित करके, कांग्रेस ने यह मैसेज भी दिया, कि वह अभी भी इतिहास में जी रही है, और ऐतिहासिक विरासत के लिए संघर्ष कर रही है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अप्रेल। बहुत सालों के बाद कांग्रेस नींद से जागी है और उसे यह समझ में आया है कि भाजपा ने सरदार पटेल व महात्मा गांधी की विरासत को हथिया लिया है। इसी के मद्देनज़र सी.डब्ल्यू.सी. ने "हमारे" सरदार पटेल पर प्रस्ताव पारित किया जिसमें पार्टी ने स्पष्ट किया कि गांधी और नेहरू के साथ सरदार पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी तथा भाजपा उनके बारे में झूठ फैला रही है।

भाजपा ने लगातार यह कहा है कि पटेल और नेहरू के बीच गंभीर मतभेद थे लेकिन अब कांग्रेस ने मजबूती से यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया है कि तीनों नेता बहुत नज़दीक थे, उन्होंने साथ मिलकर काम किया तथा महात्मा गांधी की हत्या के बाद, वो पटेल ही थे जिन्होंने आर.एस.एस. पर प्रतिबंध लगाया।

कांग्रेस अतीत के साथ ही रहना चाहती है। वह ऐसे समय पर भी गुजरात की धरती पर गांधी और पटेल का आव्हान कर रही है, जब उसे अपने पुनर्निमाण पर फोकस करना चाहिये,

- **जबकि, उसका फोकस होना चाहिए पार्टी के पुनर्निर्माण पर।**
- **कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इसीलिए अपने सम्बोधन में जोर दिया कि जब तक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा दुरुस्त नहीं होता, पार्टी चुनाव नहीं जीत सकेगी।**
- **उनके अनुसार सन् 2025, पार्टी के संगठन को पटरी पर लाने के लिए समर्पित होना चाहिये। पर, इस दिशा में कोई प्लान नहीं है, राहुल गांधी का, डी.सी. सी.ओ. को मजबूत बनाने के अलावा।**
- **कल राष्ट्रीय मुद्दों पर तथा 2027 में निश्चित गुजरात के विधानसभा चुनावों के बारे में प्रस्ताव लाया जायेगा।**
- **राहुल गाँधी ने कहा, विधानसभा चुनावों में पार्टी, भाजपा से गुजरात को छीन लेगी, तथा सरकार बनायेगी। पर, इस घोषणा की क्रियान्विति के लिये जमीन पर कोई तैयारी नहीं दिख रही हैं।**

क्योंकि वह इस समय भीषण संकट में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने भाषण में उस समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया, जब उन्होंने कहा कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होता, संख्या का कोई महत्व नहीं है तथा पार्टी चुनाव नहीं जीत पायेगी। वर्ष 2025 संगठन को व्यवस्थित करने का वर्ष है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, सिवाय इसके कि राहुल गांधी जिला कांग्रेस कमेटियों को सशक्त बनाना तथा उन्हें और अधिक अधिकार देना चाहते हैं।

के.सी. वेणुगोपाल कहते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करना चाहती है तथा इस पर काम शुरु हो गया है।

राहुल गांधी पार्टी में दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लाना चाहते हैं। इससे उनका एजेंडा पूरा हो जायेगा तथा पार्टी मजबूत हो जायेगी।

कल एक प्रस्ताव राष्ट्रीय मामलों पर तथा एक प्रस्ताव गुजरात पर लाया जायेगा, जहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी यह घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि इस बार कांग्रेस गुजरात में जीतेगी तथा भाजपा से इस राज्य को छीन लेगी।

अब तक ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं दिये हैं। दरअसल, राहुल जो कहते हैं, उसे क्रियान्वित नहीं करते तथा जहाँ जरूरी है, वहाँ सर्जरी अभी शुरु भी नहीं हुई है।

ऐसे और भी वादे किये जाने हैं, और भी निर्णय जल्दी ही लिये जाने हैं, लेकिन वे जमीन पर नहीं उतरते, क्योंकि पार्टी जो कहती है, उसे क्रियान्वित नहीं करती।

जिंदा बम कांड के चार अभियुक्तों को उम्रकैद

जयपुर, 8 अप्रैल। जयपुर बम कांड मामलों की विशेष अदालत 13 मई, 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के पास जिंदा मिले बम के मामले में चार अभियुक्तों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 6.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गत 4 अप्रैल को दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था।

सुनवाई के दौरान आरोपी शाहबाज हुसैन के वकील मुजाहिद अहमद ने

- **अदालत ने अभियुक्तों पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।**

शायराना अंदाज में कहा कि, "तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है, गलती हमारी ही निकलेगी।" इस पर पीठासीन अधिकारी रमेश कुमार जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि "कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी किया होगा। सबसे बड़ा कोर्ट हमारा मन होता है, क्या सही है और क्या गलत, उसे सब पता होता है, राह गलत नहीं होती, गलत तो चुनाव होता है।"

अदालत की ओर से गत सुनवाई को चारों आरोपियों को दोष सिद्ध करने के बाद मंगलवार को चारों अभियुक्तों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस हाईकमान ने क्या मन बना लिया है, पायलट को प्रदेश का नेतृत्व सौंपने का?

इसी दिशा में बढ़ते हुए हाईकमान ने वृहद सी.डब्ल्यु.सी. के दौरान, पायलट को जिम्मेवारी सौंपी, मीडिया को ब्रीफ करने के लिए, जिससे पत्रकारों को विश्वास में लिया जा सके, कि 9 अप्रैल को ए.आई.सी.सी. की बैठक में, क्या-क्या होना है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

अहमदाबाद, 8 अप्रेल। राजस्थान पूर्व उपमुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट को एक तरह से राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व सौंप दिया गया है और राज्य के सत्ता समीकरणों में अशोक गहलोत बहुत पीछे रह गए हैं।

विस्तृत कांग्रेस कमेटी की मीटिंग आज मंगलवार को अहमदाबाद में हुई जिसमें मीडिया से वार्ता के लिए सचिन पायलट को मैदान में उतारा गया, जबकि उस समय सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक चल रही थी।

आईडिया ये था कि मीडिया को कुछ पॉइन्ट दिए जाए ताकि यह पता चले कि सी.डब्ल्यू.सी. में चल क्या रहा है और अगले दिन होने वाली ए.आई.सी.सी. बैठक में क्या कुछ हो सकता है।

सूत्रों का कहना है कि इस कदम को गहलोत का कद कम करने और पायलट को राज्य का नेतृत्व सौंपे जाने के संकेत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **पुराने कांग्रेस नेतागण हाईकमान के इस निर्णय को स्पष्ट प्रमाण मानते हैं कि हाईकमान के मन में अब कोई "कन्फ्यूज़न" नहीं है, कि राजस्थान को किस के नेतृत्व में चलाना है।**
- **यह भी सोच सुनिश्चित सा हो गया है, कि राजस्थान के बारे में यह निर्णय ठीक चुनाव के पहले उजागर करने से बेहतर है कि, शीघ्र ही, जल्दी से जल्दी सार्वजनिक किया जाये, जिससे नये नेतृत्व को पूरा समय मिले काम करने के लिए।**
- **हालांकि, गहलोत के समर्थकों की पुरानी चौकड़ी, जिसमें विधायक दल के नेता टीकाराम जूली, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा, ए.आई.सी.सी. में महासचिव जितेन्द्र सिंह आदि, पायलट के खिलाफ संगठित हो रही है, जिससे पायलट प्रदेश के नेतृत्व की लड़ाई में ज्यादा आगे बढ़ नहीं पायें।**
- **गहलोत अब नेतृत्व की दौड़ में काफी पीछे छूट गये हैं, पर, फिर, उनकी पायलट से अदावत इतनी गहरी है कि वे पायलट को स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं, और पायलट के रास्ते में व्यवधान डालने की चेष्टा अनवरत जारी है।**

सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक व ए.आई.सी.सी. के सत्र में प्रियंका गाँधी नदारद क्यों हैं?

पूछे जाने पर के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, प्रियंका गाँधी ने संसद व गुजरात के जलसे में अनुपस्थित रहने की इजाज़त ले रखी है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अप्रेल। प्रियंका गांधी आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की मीटिंग में मौजूद नहीं थीं तथा कल होने वाले एआईसीसी अधिवेशन में भी उपस्थित नहीं होंगी।

जब उनकी गैर मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि उन्होंने संसद तथा गुजरात के अधिवेशन में उपस्थित न हो पाने की पूर्व सूचना दे दी थी, क्योंकि वे इस समय विदेश गई हुई हैं।

उनके विदेश जाने के कारणों की जानकारी नहीं हैं लेकिन आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में उपस्थित नेताओं को आश्चर्य हो रहा था कि वे इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में उपस्थित नहीं हैं। सोनिया गांधी के रिटायरमैंट मोड में आ जाने के बाद, राहुल और प्रियंका गांधी ही पार्टी के वास्तविक नेता हैं तथा पार्टी में उन्हीं की चलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष भले ही हैं, लेकिन पार्टी उनका हुकम उस तरह नहीं चलता,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **पर, इस बात पर चर्चा जोरों पर है, कि वे अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के इतने महत्वपूर्ण आयोजन में अनुपस्थित क्यों हैं। यह माना जाता है कि सोनिया गाँधी लगभग रिटायरमैंट की मुद्रा में आ चुकी हैं, अतः, पार्टी में अब राहुल व प्रियंका ही सर्वेसर्वा रहेंगे। क्योंकि, खड़गे साहब की वह अहमियत नजर नहीं आती, तथा वेणुगोपाल तक उनके निर्णयों को "ओवर रूल" कर देते हैं।**
- **कुछ समय पहले तक यह सम्भावना व्यक्त की जा रही थी, कि, सम्भवतया इलैक्शन मैनेजमैंट कमेटी की वे अध्यक्ष तो बनेंगी। पर, अब इस कमेटी का गठन होता दिख नहीं रहा।**

कांग्रेस अधिवेशन में चिदंबरम् की तबियत बिगड़ी

अहमदाबाद, 08 अप्रैल। कांग्रेस अधिवेशन में वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की तबीयत भारी गर्मी के कारण आज शाम बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की यहां पटेल स्मारक पर दिन में हुई बैठक में चिदंबरम ने हिस्सा

- **उनके पुत्र कार्ति ने बताया कि भारी गर्मी के कारण तबियत बिगड़ने पर उन्हें ज़ायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया, अब वे सामान्य हैं।**

लिया तो चिलचिलाती धूप में बैठक कक्ष की तरफ जाते हुए वह असहज लग रहे थे। शाम को साबरमती आश्रम में प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल होने गए तो उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें तत्काल अस्पताल मैं भर्ती करा दिया गया। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा सदस्य तथा चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा "मेरे पिता पी चिदंबरम को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'देश के संविधान में "पूर्ण वीटो" या "पॉकेट वीटो" का कोई प्रावधान नहीं है'

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू के राज्यपाल के खिलाफ निर्णय दिया और कहा राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है, असैम्बली द्वारा पारित विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई कार्यवाही नहीं करने का

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अप्रेल। ऐसा लगता है कि सितारे भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की राजनीति को शिखर पर पहुँचाने में लगे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए दोषी ठहराया है औरा इससे विधानसभा चुनावों से पूर्व स्टालिन की छवि और ज्यादा चमक गई है।

ऐसा लगता है स्टालिन का नेतृत्व अब तमिलनाडु की सीमा के बाहर भी पहुँच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टालिन ने कहा कि यह न केवल तमिलनाडु की जीत है बल्कि उन सभी राज्य सरकारों की जीत है, जो राज्यपाल के हाथों पीड़ित हैं।

स्टालिन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य की स्वायत्ता के लिए बड़ी जीत है और वे संघवाद के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

न्यायिक जीत से मुख्यमंत्री छवि और बेहतर हुई है और चुनाव पूर्व यह फैसला आना उनके लिए अच्छी खबर है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह उजागर कर दिया है कि राज्यपाल गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और जो शक्तियाँ उन्हें प्राप्त नहीं हैं उन्हीं भी हथियाना चाहते हैं। तमिलनाडु की जनता सब देख रही है।

मंगलवार को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बैंच ने कहा कि राज्यपाल ने गैरकानूनी तरीके से आचरण किया और राज्य विधानसभा ने सहमति के लिए उन्हें जो विधेयक भेजे थे, उन्हें रोक कर राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डाली है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का आचरण अवैध है।

जस्टिस पारदीवाला जिन्होंने यह फैसला लिखा है, ने कहा जब राज्यपाल को कोई बिल भेजा जाता है तो धारा 200 के तहत उसके पास तीन विकल्प होते हैं। मंजूरी दें या मंजूरी रोके और आपत्ति होने पर बिल राष्ट्रपति के पास भेज दें, आर्टिकल 200 में "शीघ्रातिशीघ्र" शब्द डाला गया है और राज्यपाल को बिल रोकने की अनुमति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, राज्यपाल को अधिकतम तीन माह में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय ले ही लेना चाहिए।**
- **राज्यपाल की ओर से पैरवी करते हुए एटॉर्नी जनरल आर. वैंकटारमणी ने दलील दी कि, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक उन कानूनों के खिलाफ थे, जो लोकसभा द्वारा पारित हैं, अतः राज्यपाल उन विधेयकों के राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे थे।**
- **पर एटॉर्नी जनरल की यह दलील सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की, और तीन माह का अधिकतम समय दिया, विधेयकों पर निर्णय लेने का।**

ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का निधन

आबू रोड (सिरोही), 08 अप्रैल। महिला शक्ति संगठन ब्रह्माकुमारीज़ की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी का सोमवार देर रात निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थीं।

दादी रतनमोहनी ने गुजरात में अहमदाबाद के जाइडिस अस्पताल में

- **दादी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्र.मंत्री नरेन्द्र मोदी, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े तथा मु.मंत्री भजनलाल व अन्य प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया।**

कल देर रात एक बजकर 20 मिनट पर अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के 26 हजार शिक्षकों को पद मुक्त करने के निर्णय को सही बताया

कोलकाता हाईकोर्ट ने तो पहले ही, शिक्षकों कि नियुक्ति को गलत मानते हुए यह निर्णय दिया था। पर अब हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाने से ममता बनर्जी के पास छुपने का कोई रास्ता नहीं बचा है

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 8 अप्रेल। बंगाल की राजनीति में एक बार पुनः बड़ी उथल-पुथल पैदा हो गई है। इस स्थिति के पीछे 26000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दिये जाने के कारण पैदा हुआ विवाद है। इन नियुक्तियों में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई थीं। इस पूरे विवाद तथा इस संकट से संबंधित घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि बहुत ज्यादा खराब कर दी है।

स्थिति बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में काम कर रहे ये 26000 शिक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, एक ही झटके में सरकारी सेवा से हटा दिये गये हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को, कुछ वकीलों और अन्य प्रभावित लोगों की शिकायत पर, पहले ही रद्द कर दिया था। इन लोगों की शिकायत थी कि स्कूल सर्विस कमीशन (एस एस सी) द्वारा किये गये स्कूली शिक्षकों के चयन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

इन अनियमितताओं की धधक और तपन, अन्य अधिकांश मामलों की तरह, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक भी पहुंची है। सरकार की मुखिया होने के साथ ही, शिक्षा विभाग की प्रमुख होने के नाते, मुख्यमंत्री इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराई गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ममता बनर्जी इस विस्फोट के प्रभाव को राजनैतिक रूप से नियन्त्रित करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पा रहीं। उन्होंने बर्खास्त स्कूली शिक्षकों की एक मीटिंग कलकत्ता के इनडोर स्टेडियम में बुलाई थी। लेकिन इस मीटिंग स्थल में प्रवेश को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

तृणमूल के गुंडों ने कथित रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को 500 रु. में ऐन्ट्री पास बेचे थे। पार्टी के इन गुंडों ने इन हैरान-परेशान और उत्तेजित स्कूली शिक्षकों की पिटाई कर दी तथा उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया था।

उल्लेखनीय है कि राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बहुत नजदीक हैं, शिक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में जेल में पड़े हैं। उनके विभिन्न ठिकानों और उस फ्लैट, जहां उनकी कथित "गर्लफ्रैंड" रहती थी, पर पड़ी रेड में करीब 60 करोड़ रु. नकद पाये गये थे।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी गई है, के बाद बड़ी अशोभनीय स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि ये 26000 शिक्षक अचानक सड़कों पर आ गये हैं तथा शासन-प्रशासन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उच्च पदस्थ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **ममता बनर्जी ने पद मुक्त हुए शिक्षकों की एक मीटिंग रखी, "इनडोर स्टेडियम" में, पर यह प्रयास भी निरर्थक साबित हुआ, क्योंकि, स्टेडियम में प्रवेश पाने के लिए, जो पास दिये जाने थे, वे बाजार में बिके तथा शिक्षकों को मारपीट कर भगा दिया गया।**
- **दूसरी ओर, सरकार का यह दावा भी झूठा साबित हुआ कि उत्तर पत्रिकाएं सभी नष्ट हो गई हैं। फरीदाबाद की एक कम्प्युटर कम्पनी के पास "उत्तर पुस्तिकाओं" की कॉपी मिल गई। तथा कोलकाता हाईकोर्ट के एक पूर्व जज ने कहा, यह सम्भव है, कि यह मालूम किया जा सकता है, कौन सा उम्मीदवार पैसे देकर पास हुआ और नौकरी पाई, और कौन सा उम्मीदवार अपनी मैरिट से नौकरी में आया है।**

पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 8 अप्रैल । अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा की एडिशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.) के पद पर नियुक्ति के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में पद्मेश मिश्रा और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

- **हाई कोर्ट में पद्मेश मिश्रा को एएजी नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।**

याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अपील में कहा है कि राज्य सरकार ने विधि नीति में बेतरतीब और मनमाने तरीके से बदलाव करते हुए पद्मेश मिश्रा को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में जिस तरीके से विधि नीति में संशोधन किए गए हैं,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK